राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

क्रमांकःएफ. 2 (3) लागत / 1034 / 611 दिनांक–23/02/12

परिपत्र

परिपत्र क्रमांक एफ.2 (3)लागत / 1034 / 698 दिनांक 28.03.2011 तथा 452 दिनांक 1.12.2011 द्वारा आवासन मण्डल में व्यावसायिक वाणिज्यिक भूखण्डों, आवासों व दुकानों की नीलामी योजना के तहत सम्पत्ति निस्तारण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन निर्धारित कर आवश्यक निर्देश दिये गये थे। जारी परिपत्र क्रमांक 452 दिनांक 1.12.2011 के बिन्दु संख्या 1 में स्पष्ट निर्देशित किया हुआ है कि सम्पत्ति नीलामी कार्यक्रम की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने की कार्यवाही तथा विज्ञप्ति प्रकाशन करने की कार्यवाही अलग–अलग सम्पादित की जावे तथा किसी भी स्थिति में उक्त दोनों कार्यवाहियों का परस्पर सम्बन्ध नहीं रखा जावें। परन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में आया है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सम्पत्तियों की नीलामी व विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु उक्त परिपत्रों में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है।

अतः सम्बन्धित अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि सन्दर्भित परिपत्रों में जारी निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति का न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित होने के पश्चात् सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के माध्यम से नीलामी की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। इससे सम्बन्धित पत्रावली मुख्य सम्पदा प्रकोष्ठ द्वारा डील कर संधारित की जावेगी। नीलामी कार्यक्रम की स्वीकृति के पश्चात् नीलामी विज्ञप्ति के प्रकाशन कराने की कार्यवाही जनसम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा की जावेगी। इस हेतु वांछित सूचनाओं व विज्ञप्ति के प्रारूप तथा नीलामी की सक्षम स्वीकृति सहित यथेष्ठ समय पूर्व प्रकरण अति.मुख्य अभियन्ता की टिप्पणी सहित सीधे जनसम्पर्क अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें। निर्देशों की कडाई से पालना कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अति. मुख्य अभियन्ता की होगी।

उपरोक्त जारी निर्देशों की भी कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे। निर्देशों की अवहेलना के लिए सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि–सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता / वित्तीय सलाहकार / सचिव / मुख्य सम्पदा प्रबन्धक / निदेशक–विधि राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति.मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय / पीएण्डएम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. समस्त उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. समस्त आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. ए.सी.पी. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।

वित्तीय सलाहकार